



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 28.08.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा, पुलिस ऑफिस में गूगल मीट के माध्यम से जनपद खीरी के समस्त थानों पर आये फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कराया गया



पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार आज दिनांक 28.08.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा पुलिस ऑफिस में समस्त क्षेत्राधिकारीगण, थाना प्रभारियों एवं जनसुनवाई अधिकारियों से गूगल मीट के माध्यम से थाने पर आये फरियादियों की समस्याओं का पर्यवेक्षण किया गया। तथा पुलिस कार्यालय आये अलग-अलग थाना क्षेत्रों के फरियादियों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष अपनी समस्याएं बताई। पुलिस अधीक्षक ने समस्त फरियादियों की शिकायतों को एक-एक कर गंभीरता से सुना। इस दौरान जन सामान्य की शिकायतों को समय से गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

थाना उचौलिया पुलिस टीम द्वारा, 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त रहमान पुत्र अजीज को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण/बिक्री/परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 28.08.2023 को थाना उचौलिया पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त रहमान पुत्र अजीज निवासी ग्राम मानाखेड़ा थाना उचौलिया जनपद खीरी को 01किलो100 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

रहमान पुत्र अजीज निवासी ग्राम मानाखेड़ा थाना उचौलिया जनपद खीरी

बरामदगी

अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा व बिक्री के 120 रूपये बरामद होना

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 236/23 धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना उचौलिया जनपद खीरी

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0सं0 223/2022 धारा 8/20 NDPS Act, थाना पसगवां जनपद खीरी
- 2.मु0अ0सं0 402/2022 धारा 2(B)(ii)/3 यू0पी0 गैरेस्टर एक्ट, थाना पसगवां जनपद खीरी
- 3.मु0अ0सं0 134/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना उचौलिया जनपद खीरी
- 4.मु0अ0स0 236/2023 धारा 8/20 NDPS एक्ट, थाना उचौलिया जनपद खीरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- 1.उ0नि0 राजकुमार सिंह
- 2.हे0का0 जय प्रकाश पटेल
- 3.का0 दीपक प्रजापति

थाना शारदानगर पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त विक्रम पुत्र लवकुश को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 28.08.2023 को थाना शारदानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त विक्रम पुत्र लवकुश को अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना शारदानगर पर मु0अ0सं0 225/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विक्रम पुत्र लवकुश निवासी दाउदपुर थाना शारदानगर जनपद खीरी

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 उदयभान यादव

2-का0 करन कुमार

3-का0 विद्यासागर

4-का0 नौबतराम

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, हत्या करने के प्रयास से संबंधित पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त मोहित अवस्थी को घटना से संबंधित अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 28.08.2023 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 340/23 धारा 307/504 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त मोहित अवस्थी पुत्र रामलखन अवस्थी को घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से अवैध तमंचा की बरामदगी के संबंध में थाना ईसानगर पर मु0अ0सं0 341/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मोहित अवस्थी पुत्र रामलखन अवस्थी नि0 उदयपुर बेल्लुआ थाना ईसानगर जनपद खीरी

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 सुनील कुमार तिवारी
2-हे0का0 अशोक कुमार
3-का0 अंकित राठी

ए0एच0टी0यू0 टीम खीरी द्वारा, ऑपरेशन कवच योजना के अंतर्गत भारत-नेपाल राष्ट्र की सीमा पर स्थित जनपद खीरी के थाना तिकुनिया क्षेत्र के ग्राम सुथना बरसोला में मानव तस्करी, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय/नोडल अधिकारी खीरी, श्री नैपाल सिंह के निकट पर्यवेक्षण में भारत-नेपाल राष्ट्र की सीमा पर अवैध क्रिया-कलापों, अवैध मादक पदार्थों आदि की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कवच' योजना के अंतर्गत आज दिनांक 28.08.2023 को ए0एच0टी0यू0 प्रभारी, श्री जैनेन्द्र कुमार द्वारा मय ए0एच0टी0यू0 टीम के साथ थाना तिकुनियाँ क्षेत्र ग्राम सुथना बरसोला में थाना तिकुनिया से उ0नि0 श्री जीवन सहाय; मु0आ0 सुभाष निषाद; महिला पीआरडी मनीषा; मानव सेवा संस्थान से अवधेश कुमार की संयुक्त टीम के साथ ग्राम सभा के सभी सम्मानित व्यक्तियों के साथ मानव तस्करी, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बालविवाह की रोकथाम के विषय में चर्चा करते हुए उन्हें जागरूक किया गया।

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, वारंटी अभियुक्त अनंतराम पुत्र गेंदई को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 28.08.2023 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा वारन्टी अभियुक्त अनन्तराम पुत्र गेंदई नि० ग्राम कोरैय्या थाना हैदराबाद जिला खीरी सम्बन्धित मु०न० 690/23 अ०स० 312/23 धारा 380/411 भा०द०वि० थाना मोहम्मदी खीरी व मु०न० 338/2023 अ०स० 11/89 धारा 379/411 भा०द०वि० थाना मोहम्मदी खीरी को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभि० को मा० न्यायालय के समक्ष भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अनन्तराम पुत्र गेंदई नि० ग्राम कोरैय्या थाना हैदराबाद जिला खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० सुनील सिंह थाना हैदराबाद
- 2.का० नैपाल सिंह थाना हैदराबाद

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र छेटिलाल को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र छेटिलाल थाना धौरहरा जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना धौरहरा पर मु0अ0सं0 589/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त किराज पुत्र इरकाद को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अभियुक्त इरकाद पुत्र इरकाद निवासी बंजाज टाडा थाना नानपारा जनपद बहराइच को 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना धौरहरा पर मु0अ0सं0 588/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त हंसराम को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त हंसराम निवासी ग्राम राजगढ़ थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना मोहम्मदी पर मु0अ0सं0 555/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त हर्षित पुत्र सुरेन्द्र वर्मा को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त हर्षित पुत्र सुरेन्द्र वर्मा निवासी गांधीनगर गोला थाना हैदराबाद जनपद खीरी को 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना हैदराबाद पर मु0अ0सं0 348/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

थाना मितौली पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 03 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें व कुल 1,940 रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मितौली पुलिस द्वारा जुआं खेलते हुए 03 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें व कुल 1,940 रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना मितौली पर मु0अ0सं0 385/2023 धारा 13 जुआं अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1. थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 558/23 धारा 2(ख)17/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 06 नफर अभियुक्तों 1. शईम पुत्र मसरुर 2. शाकिर पुत्र जाकिर निवीसीगण बैदा थाना मोहम्मदी जनपद खीरी 3. शाहिद पुत्र रियाकत 4. राहिद पुत्र रियाकत 5. अस्मीर पुत्र कसम अली व 6. वारिश पुत्र वहिद निवासी सिसौरा थाना सिंधौली जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 67 लीटर अवैध शराब बरामद कर 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **67 लीटर अवैध कच्ची शराब व 02 शराब भट्टी** बरामद कर **06 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **06 अभियोग** पंजीकृत किए गए।